मजहबी आरक्षण अर्थात् राष्ट्र तोड़क षड्यन्त्र

धर्म आधारित आरक्षण के नाम पर जो मजहबी खेल इस देश में पुनः प्रारम्भ हुआ है वह राष्ट्र तोड़क षड्यन्त्र ही है। किसी भी राष्ट्र की राजनीति इतनी स्वार्थी, अंधी और निकृष्ट हो सकती है, यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज मुस्लिम वोट बैंक की होड़ में अनेक राजनीतिक दल, देशहित के खिलाफ हद से बाहर जाकर समझौता कर रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर कथित सेकुलर मीडिया की भूमिका, कथित बुद्धिजीवियों और राजनेताओं द्वारा देशहित की उपेक्षा इसका ही उदाहरण है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो खेल और विभ्रम चल रहा है, अन्ततः इससे राष्ट्र की ही अपूरणीय क्षति हो रही है। इसी के कारण आज देशहित किसी की चिन्ता का विषय नहीं रहा। आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने नौकरियों में प्रतिशत 5 मुस्लिम आरक्षण की घोषणा करके जो शुरुआत की थी उसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया में प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण लागू करके आगे 50 बढ़ाया। इसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने भी आन्ध्र प्रदेश की तर्ज पर ही मुस्लिम आरक्षण की घोषणा करके इस दुष्प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया तो पहले प्रधानमंत्री, फिर मानव संसाधन विकास मंत्री और आज केन्द्रीय गृहमंत्री का बयान इस आग में घी का काम कर रहा है। केन्द्रीय गृहमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केन्द्र सरकार शैक्षिक संस्थाओं तथा नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण को लागू करेगी। यह वक्तव्य उस देश के गृह मंत्री का है जो देश इस्लामी आतंकवाद का सर्वाधिक दंश झेल रहा है। केन्द्रीय गृह मंत्री का धर्म अथवा मजहब के आधार पर आरक्षण देने सम्बन्धी वक्तव्य संविधान का अनुच्छेद 14, जो देश के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है तथा अनुच्छेद (1) 15 जिसके अनुसार धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबन्ध से सम्बन्धित है, का उल्लंघन तो है ही साथ ही साथ अनुच्छेद का भी उल्लंघन 29 (2)29 है। अल्पसंख्यक संस्थाओं से सम्बन्धित अनुच्छेद व (1)30 कहीं भी

आरक्षण की गारण्टी नहीं देते है। अनुच्छेद (2)29 में स्पष्ट है कि कोई भी शैक्षिक संस्थान जिसका राज्य द्वारा प्रबन्ध किया जाता है या जो सहायता प्राप्त करता है उसमें केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा आदि के कारण किसी को भी प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद (1)30, को जिसे उच्चतम न्यायालय के सदस्यीय पीठ ने भी व्याख्यायित किया है 11''अल्पसंख्यक संस्था को प्रशासनिक स्वतन्त्रता है कि वहाँ प्रवेश अच्छी, पारदर्शी व योग्यता के आधार पर मेरिट व तार्किक कारणों से ठीक हो'' ये संस्थाएँ अपना सकती हैं, लेकिन धर्म, जाति, नस्ल, रंग, वर्ग, भाषा के आधार पर किसी को रोक नहीं सकतीं और न ही किसी को अनावश्यक लाभ पहुँचा सकती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया में मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था को सन् में तत्कालीन महामहिम 1991 राष्ट्रपति ने तथा आज आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में वहाँ की सरकार के इस प्रत 50 फैसले को तथा पुनः अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय मेंिशत मुस्लिम छात्रों के आरक्षण सम्बन्धी फैसले को सम्बंधित राज्यों के उच्च न्यायालय ने संविधान विरुद्ध, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को कमजोर करने वाला बताकर इस पर अनेक प्रश्न खड़े करके इस पर रोक भी लगाई है। बावजूद इसके गृहमंत्री का यह वक्तव्य अनेक प्रश्न खड़ा करता है। मजहब अथवा धर्म के आधार पर आरक्षण की बात आज उस देश में की जा रही है जिस देश के वर्ष पूर्व 60हुए विभाजन का कारण मजहबी आरक्षण रहा हो। सन् में अंग्रेजों की कुटिल चाल ने 1909 मुसलमानों को इण्डिया एक्ट के तहत पहली बार पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था। यहीं पृथक निर्वाचन सन् आते भारत विभाजन का -आते 0ई 1947 मुस्लिम दंगे हुए। उस समय की -कारण बना। तब पूरे देश में भयंकर हिन्दू परिस्थितियों को देखकर भारत माता के महान सपूत लाला लाजपत राय ने देश को आगाह किया था कि अगर यही स्थिति रही तो देश के पूर्व और पश्चिम में दो मुस्लिम राज्यों का निर्माण अवश्यंभावी है। और वैसा ही हुआ भी। विभाजन और स्वतन्त्रता के बाद भी मुसलमानों को अलगाववाद और मजहबी कट्टरता से मुक्त

करने की दिशा में इस देश की सरकारों ने कोई प्रयास नहीं किया। तुष्टीकरण की नीति लगातार चल रही है। आज अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करने के लिए इस देश के राजनेता किस हद तक जा सकते हैं, इसकी कल्पना से ही भयावह दृश्य सामने आने लगता है। बहुसंख्यक समाज को हर प्रकार से अपमानित करना, भारत की प्राचीन परम्परा एवं संस्कृति को कोसना जहाँ धर्मनिरपेक्षता का पर्याय हो गया है वहीं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कोई भी बहाना इनके द्वारा ढूँढ़ ही लिया जाता है। धर्म अथवा मजहब के आधार पर आरक्षण का यह चलन अत्यन्त ही घातक परिणाम देने वाला है। यह संविधान की मूल भावनाओं का उल्लंघन है। भेदभाव एवं अलगाववाद पैदा करने वाला है। देश के 'सर्वधर्मसमभाव' के स्वरूप को नष्ट करने वाला है तथा भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने वाला तथा दुर्भावना बढ़ाने वाला है। इसे एक सिरे से खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि मुस्लिम आरक्षण के नाम पर जिस मजहबी आरक्षण की आग में इस राष्ट्र को धकेलने का षड्यन्त्र हो रहा है वह सामान्य षड्यन्त्र नहीं अपितु ''राष्ट्र तोड़क षड्यन्त्र'' है।